अध्याय ।
अग्रिम प्राधिकार योजना का विहंगवालोकन

1. प्रस्तावना

अग्रिम लाइसेंसिंग योजना, जिसे शुल्क हकदारी छूट प्रमाण पत्र (डीईईसी) के नाम से भी जाना जाता है, को वर्ष 1976 में विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इस योजना का उद्देश्य मूल्य वर्धन की निर्दिष्ट प्रतिशतता के साथ विनिर्मित माल के निर्यात की शर्त के अधीन भारत में सीमा शुल्क के भुगतान के बिना अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर पंजीकृत निर्यातकों को उनकी मूल्य इनपुट/कच्ची सामग्री की आवश्यकता पूरी करना है। बाद में एफटीपी 2004-09 के तहत 1 सितम्बर 2004 से प्रभावी इस योजना का नाम बदलकर अग्रिम प्राधिकार योजना (एएएस) कर दिया गया।

अग्रिम प्राधिकार (एए) उन इनपुट के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देने के लिए जारी किया जाता है, जिन्हें निर्यात उत्पाद में भौतिक रूप से शामिल किया जाता है, जिसमें सामान्य अपव्यय की अनुमति मिलती है। इसके अतिरिक्त, निर्यात उत्पाद के उत्पादन की प्रक्रिया में खपत/उपयोग किए जाने वाले ईंधन, तेल और उत्प्रेरक को भी शुल्क मुक्त करने की अनुमति है। एए विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा निर्धारित मानक इनपुट आउटपुट मानदंड (एसआईओएन) के आधार पर और एफटीपी की मानदंड समितियों (एनसी)/ स्वंय संपुष्टि योजना द्वारा अनुमोदन के अनुमोदन के अधीन तदर्थ स्वघोषित मानदंडों के आधार पर भी जारी किए जाते हैं।

1.1 योजना के कार्यान्वयन में शामिल प्राधिकारी

यह योजना डीजीएफटी द्वारा क्रियान्यवित की जाती है जबकि आयातित इनपुट पर सीमा शुल्क के उद्ग्रहण से छूट केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी), वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के अधीन डीओआर द्वारा अनुमत की जाती है।

लाइसेंस के लिए आवेदन डीजीएफटी के अधीन क्षेत्राधिकारिक आरए को प्रस्तुत की जानी होती है, जैसा कि क्रियाविधि की पुस्तिका (एचबीपी) में निर्दिष्ट किया गया है। आरए आवेदन में दी गयी सूचना का सत्यापन करता है और लाइसेंस जारी करता है, जिसे फिर लाइसेंस के अन्तर्गत माल के आयात और निर्यात को

अनुमत करने के लिए निर्दिष्ट सीमा शुल्क पत्तन के साथ पंजीकृत किया जाता है। पंजीकरण सीमा शुल्क विभाग के पास बांड, और यदि आवश्यक हो तो बैंक गारंटी (बीजी)[1] के कार्यान्वयन के अधीन होता है। निर्यात दायित्वों (ईओ) के निर्वहन पर, प्राधिकार धारक (एएच) आरए को मोचन का एक आवेदन करता है, जो एएच को एक निर्यात दायित्व प्रमाणपत्र (ईओडीसी) जारी करता है और यदि कोई बांड और बीजी हो, के मोचन के लिए सीमा शुल्क विभाग को उसकी एक प्रति भेजता है।

1.2 एए के लिए मानदंड

एफटीपी के पैरा 4.03 के अनुसार, एए निम्नलिखित के आधार पर परिणामी उत्पाद के संबंध में इनपुट के लिए जारी किए जाते हैं:

(क) एचबीपी में अधिसूचित एसआईओएन;

(ख) स्व-घोषणा, जहां एसआईओएन अधिसूचित नहीं है;

(ग) आवेदक विशिष्ट मानदंडों का पूर्व निर्धारण;

(घ) स्व-संपुष्टि योजना।

एसआईओएन विभिन्न परिणामी उत्पादों के निर्माण में आवश्यक विभिन्न इनपुटों के अनुपात को निर्धारित करता है। यदि मानदंडों को अधिसूचित नहीं किया गया है, तो आरए आवेदकों द्वारा स्व-घोषणा के आधार पर एए जारी कर सकता है। इस तरह दावा किए गए अपशिष्ट, एनसी द्वारा तय किए गए अपशिष्ट मानदंडों के अधीन होगें। आवेदक-विशिष्ट मानदंडों का पूर्व निर्धारण पीएन 26 के माध्यम से 20 सितंबर 2017 से शुरू किया गया था और स्व-संपुष्टि योजना (एसआरएस) 22 मार्च 2018 से पीएन 68 के तहत लागू की गई थी।

[1] सीमा शुल्क परिपत्र 58/2004 दिनांक 21-10-2004 के अनुसार सीमाशुल्क पत्तनों पर एए के पंजीकरण के समय सीमा-शुल्क विभाग द्वारा बैंक गारंटी ली जाती है जिसे समय-समय पर संशोधित किया जाता है। बीजी को एए योजना के तहत निर्यातकों की कुछ श्रेणियों जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू), स्टार हाउस निर्यातक, निर्यातक मौजूदा या पिछले वित्त वर्ष में 5 करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात कारोबार करने वाले और अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड वाले, विनिर्माता निर्यातकों ने पिछले दो वितीय वर्षों में केंद्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात के साथ एक करोड़ से अधिक का निर्यात कारोबार किया हो और विनिर्माता निर्यातकों ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क में पंजीकरण किया हो और पिछले वित्त वर्ष के दौरान एक करोड़ से अधिक के उत्पाद शुल्क (पूर्व माल एवं सेवा कर (जीएसटी) युग) या जीएसटी से अधिक का जीएसटी भुगतान किया हो। अन्य सभी विनिर्माता निर्यातकों को 15 प्रतिशत बीजी और बाकी सभी को 100 प्रतिशत बीजी प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

1.3 योजना की मुख्य विशेषताएं

पंजीकृत निर्यातकों को एए के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा और निर्धारित दस्तावेजों को अपलोड करना होंगा। आरए एए जारी करता है और उस प्राधिकार के अन्तर्गत माल के आयात और निर्यात के लिए बंदरगाह पर पंजीकरण के लिए संदेश विनिमय प्रणाली (एमईएस) के तहत सीमा शुल्क बंदरगाह को इसकी सूचना देता है। एसआईओएन के अनुसार प्राधिकार में निर्दिष्ट मात्रा में इनपुट सीमा शुल्क से मुक्त हैं। वैकल्पिक रूप से, आयात के लिए लाइसेंस अमान्य करके बिना शुल्क के घरेलू स्तर पर भी इनपुट की खरीद की जा सकती है।

सीमा शुल्क परिपत्र 58/2004 दिनांक 21-10-2004 के अनुसार सीमा शुल्क पत्तनों पर एए के पंजीकरण के समय सीमा शुल्क विभाग द्वारा बीजी ली जाती है जिसे समय-समय पर संशोधित किया जाता है। असाधारण मामलों में, एचबीपी के पैरा 4.13 में सीमा शुल्क में छूट प्रदान करने के लिए सीमा शुल्क प्राधिकारी को 100 प्रतिशत बीजी को प्रस्तुत करने के अधीन पैरा 4.12 (ए) में उल्लिखित लागत, बीमा और माल ढुलाई (सीआईएफ) की हकदारी से अधिक का प्रावधान है। आरए प्राधिकार में इस आशय का विशिष्ट अंकन करेगा। इसी प्रकार, एचबीपी के 2.29 (बी) के अनुसार, आरए इनपुट के घरेलू स्रोत्र के मामले में एएच से भी बीजी के लिए आग्रह कर सकता है।

लाइसेंस 18 महीने की अवधि के भीतर 15 प्रतिशत के न्यूनतम मूल्य वर्धन (एमवीए) के साथ ईओ प्राप्त करने की शर्त पर जारी किए जाते हैं (परिशिष्ट 4जे इनपुट के अलावा)। निर्धारित शर्तों के अधीन प्रत्येक छह महीने के लिए समय-सीमा को दो बार और बढ़ाया जा सकता है। मात्रा के संदर्भ में ईओ की पूर्ति न करने के लिए छोड़े गए सीमा शुल्क व साथ ही निर्यात मात्रा को पूरा नहीं करने के लिए आनुपातिक रूप से आवश्यक इनपुट पर ब्याज का भुगतान करके प्राधिकार के नियमितीकरण की आवश्यकता होती है। मूल्य के संदर्भ में विफलता के लिए मूल्य में कमी के एक प्रतिशत के बराबर दंड का भुगतान करके नियमितीकरण की आवश्यकता होती है।

ईओ की पूर्ति पर, निर्यातक निर्यात आय के इलेक्ट्रॉनिक बैंक प्राप्ति प्रमाण पत्र (ई-बीआरसी) और शिपिंग बिलों (एसबी) को प्रस्तुत करके आरए में ईओडीसी के

लिए आवेदन करता है। जब ईओडीसी जारी किया जाता है, तो इसे एमईएस के माध्यम से बॉन्ड और बीजी पत्तनों पर निष्पादित, यदि कोई हो, के मोचन के लिए सीमा शुल्क प्राधिकारियों को भी सूचित किया जाता है।

एचबीपी के पैरा 4.44 (एफ) के अनुसार, यदि एएच ईओ को पूरा करने में विफल रहता है या प्रासंगिक जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो आरए प्राधिकार और शपथ-पत्र की शर्त लागू करेगा और चूककर्ता निर्यातक को अगले प्राधिकार से इनकार करके नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई भी शुरू करेगा। एए योजना में एए जारी करने से लेकर ईओडीसी तक की प्रक्रिया को निम्नलिखित प्रवाह चार्ट में दर्शाया गया है:

चित्र 1: एए योजना में प्रक्रियाओं के प्रवाह का सारांश

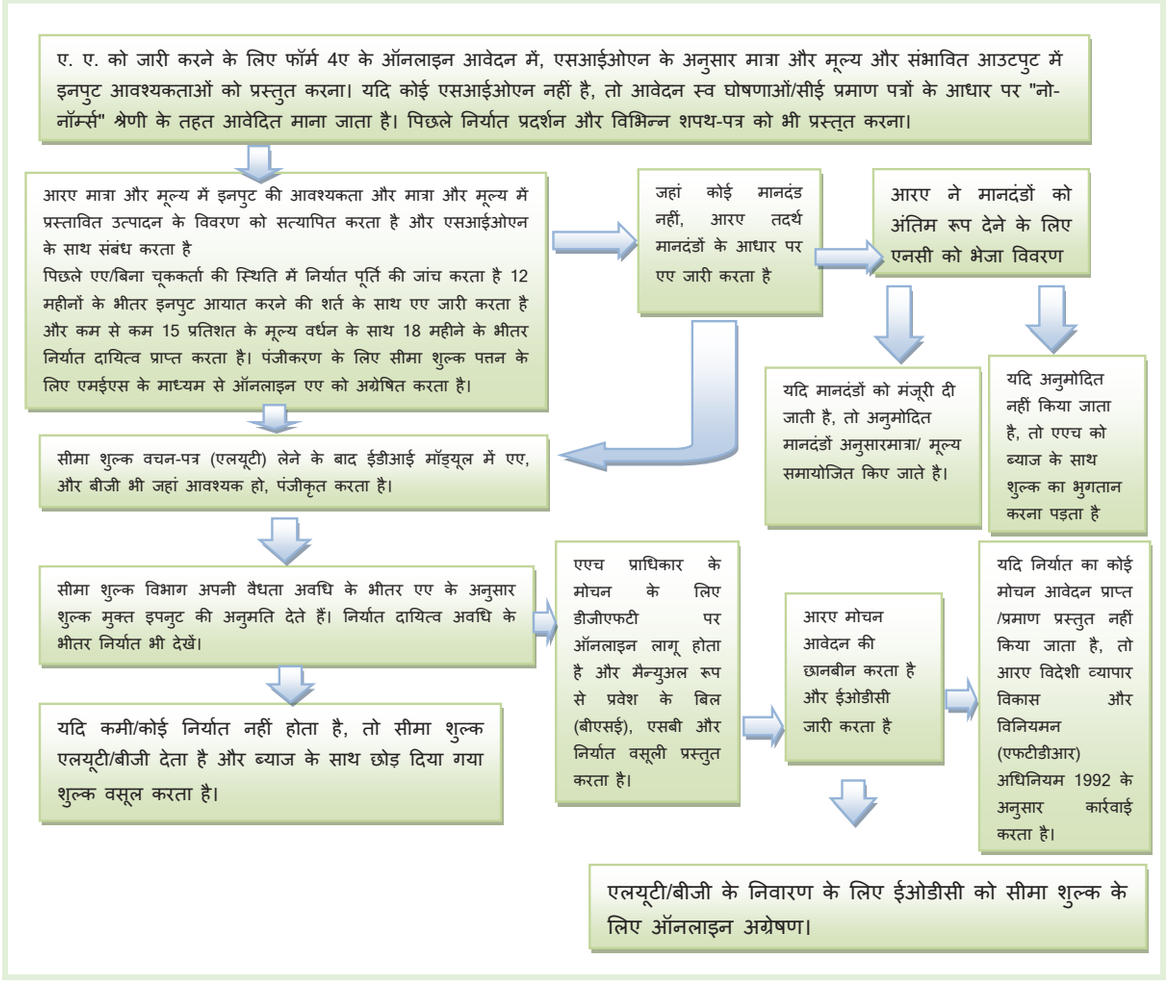

इसमें शामिल प्राधिकारियों के साथ-साथ एएएस में शामिल प्रक्रियाओं को नीचे चित्र 2 में सक्षिप्त विवरण दिया गया है:

चित्र 2: एए योजना में शामिल प्रक्रिया

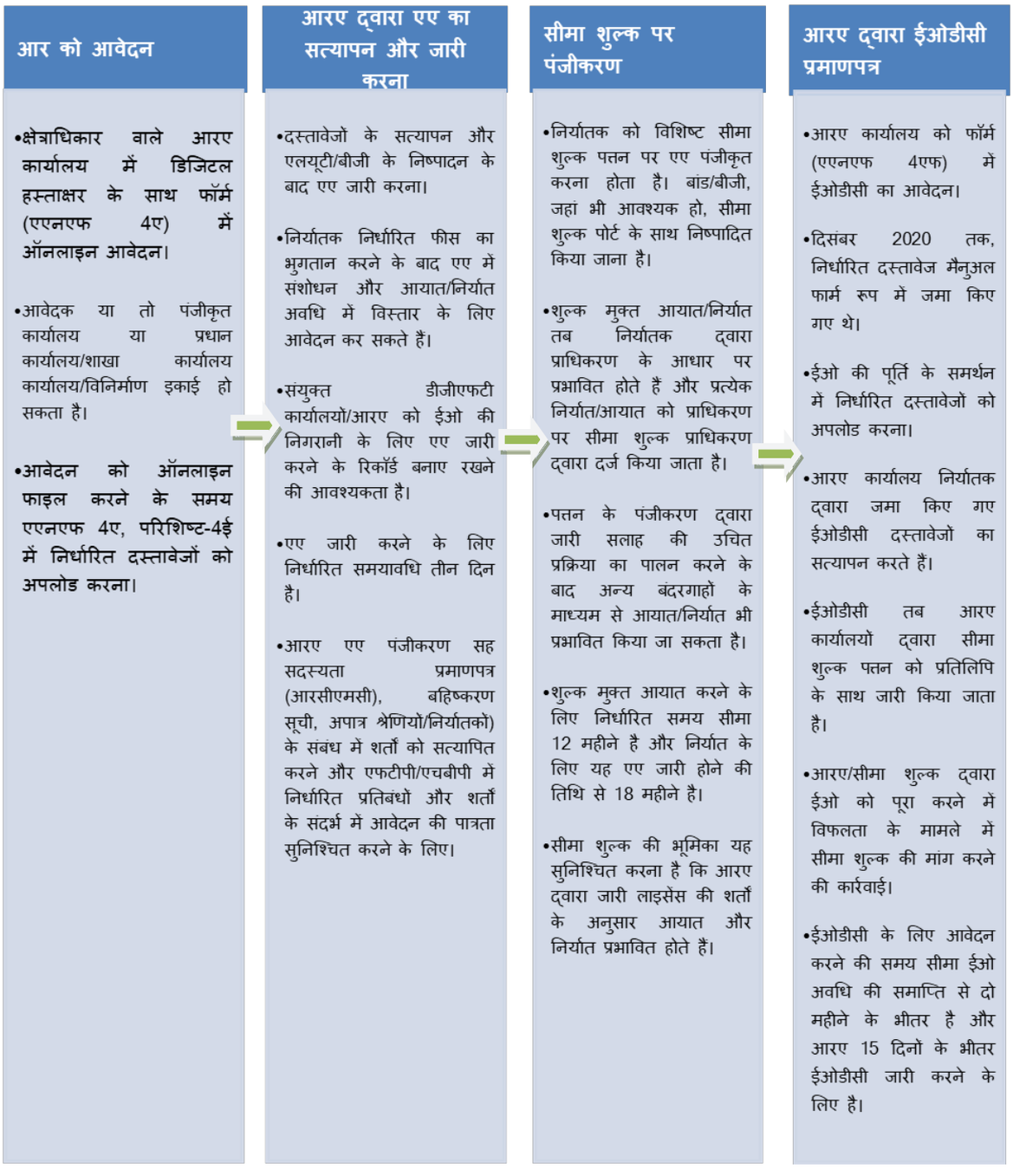

1.4 सांख्यिकीय विहंगवालोकन

2015-16 से 2018-19 तक निष्पादन लेखापरीक्षा में शामिल की गई अवधि के लिए एए योजना का विश्लेषण, एए की संख्या और आयातक निर्यातक कोड (आईईसी) धारकों की संख्या के अनुसार, योजना के तहत कुल आयात और निर्यात की अनुमति के रूप में किया गया था, जैसा कि नीचे वर्णित है:

चित्र 3: जारी प्राधिकारों और एए योजना के तहत स्वीकृत निर्यात/आयात मूल्य

चित्र 3.1: आईईसी धारकों की संख्या की तुलना में जारी किए गए प्राधिकार

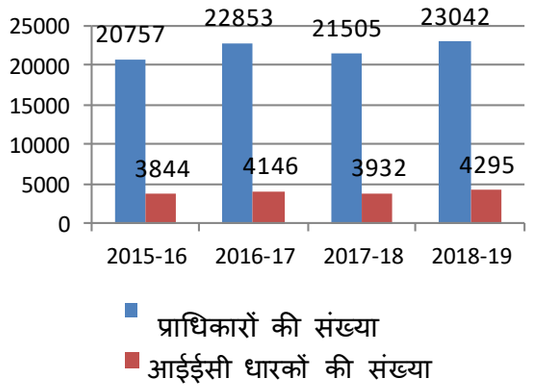

चित्र 3.2: प्राधिकारों का सीआईएफ और एफओबी मूल्य

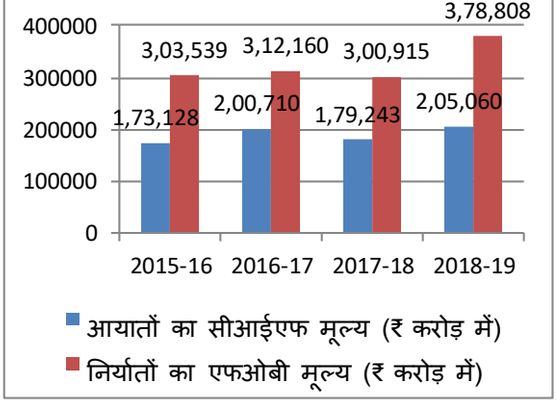

निर्यात का एफओबी मूल्य 2015-16 में 25 प्रतिशत बढ़कर ₹3,03,539 करोड़ से 2018-19 में ₹3,78,808 हो गया। इसी तरह, आयातों के एए और एएच और सीआईएफ मूल्य की संख्या में भी क्रमशः 11 प्रतिशत, 12 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

सीमा शुल्क पत्तनों पर एए के वास्तविक उपयोग का सीमा शुल्क ईडीआई (इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज) डेटा से विश्लेषण किया गया था जैसा कि नीचे चित्र 4 में विवरण दिया गया है:

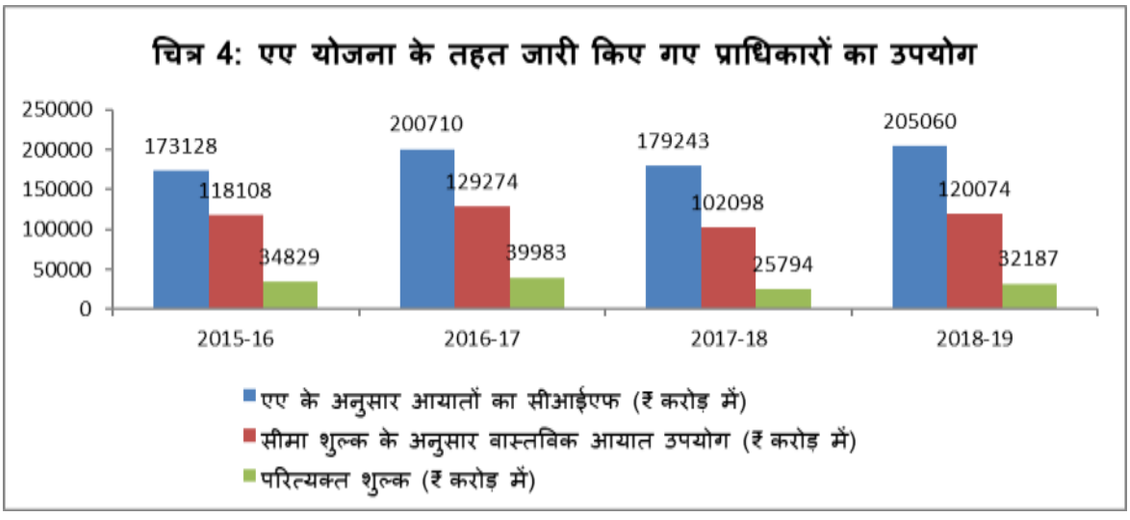

जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है, एए के उपयोग का प्रतिशत 2015-16 में 68.22 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 58.56 प्रतिशत हो गया और तदानुसार शुल्क छुट 2015-16 में 29.49 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 26.81 प्रतिशत हो गया।

1.4.1 एए योजना के तहत निर्यात का हिस्सा

मूल्य के संदर्भ में कुल भौतिक निर्यात के लिए एए योजना के तहत निर्यात की हिस्सेदारी 2015-16 में 9.75 प्रतिशत थी, जो 2018-19 में बढ़कर 10.77 प्रतिशत हो गई, जैसा कि नीचे वर्णित है:

एए योजना के माध्यम से किए गए निर्यात के एक करोड़ रुपये प्राप्त करने के लिए शुल्क परित्यक्त किया गया, जो 2015-16 में ₹21 लाख रुपये से 2018-19 में ₹13 लाख रुपये तक परिवर्तित हुआ, जिसका विवरण नीचे दिया गया हैं:

तालिका 1: एफओबी मूल्य की तुलना में शुल्क परित्यक्त

वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
शुल्क परित्यक्त (₹ करोड में)	34828.72	39982.55	25793.52	32187.01
एफओबी (₹ करोड में)	167349.93	186715.94	224782.57	248430.08
शुल्क परित्यक्त / एफओबी का एक करोड़ (₹ करोड में)	0.21	0.21	0.11	0.13

1.4.2 प्राधिकारों का क्षेत्रीय वितरण:

2015-16 से 2018-19 की अवधि के लिए विभिन्न क्षेत्रों के तहत एए (आयात की संख्या और सीआईएफ मूल्य) का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 2: एए का क्षेत्रीय वितरण

	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		प्रतिशत परिवर्तन	
क्षेत्र	एए की संख्या	सीआईएफ मूल्य (₹ करोड़ में)	एए की संख्या	सीआईएफ मूल्य (₹ करोड़ में)	एए की संख्या	सीआईएफ मूल्य (₹ करोड़ में)	एए की संख्या	सीआईएफ मूल्य (₹ करोड़ में)	संख्यांए	मूल्य
रासायनिक	9589	57064.29	9849	57822.56	9259	65196.81	9309	77052.82	-2.92	35.03
इलेक्ट्रॉनिक्स	185	777.09	187	984.26	126	856.74	143	1830.41	-22.70	135.55
इंजीनियरिंग	4293	48835.99	4333	60869.03	4157	57697.25	4299	64687.82	0.14	32.46
मछली	23	147.01	19	108.35	14	127.1	19	170.96	-17.39	16.29
खाद्य पदार्थ	582	6154.85	1400	14067.76	841	9626.42	814	8546.5	39.86	38.86
रत्न और आभूषण	77	40707.9	63	44000.78	51	21840.52	94	18700.32	22.08	-54.06
हस्तशिल्प	31	47.36	34	21.82	31	20.28	47	31.52	51.61	-33.45
चमड़ा	55	153.65	86	270.41	105	290.96	84	388.11	52.73	152.59
प्लास्टिक	3749	15072.71	4039	17737.89	4120	18347.46	4471	26258.11	19.26	74.21

	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		प्रतिशत परिवर्तन	
क्षेत्र	एए की संख्या	सीआईएफ मूल्य (₹ करोड़ में)	एए की संख्या	सीआईएफ मूल्य (₹ करोड़ में)	एए की संख्या	सीआईएफ मूल्य (₹ करोड़ में)	एए की संख्या	सीआईएफ मूल्य (₹ करोड़ में)	संख्यांए	मूल्य
खेल-कूद	0	0	0	0	0	0	2	2.56	200.0	256.00
वस्त्र	1917	3549.16	2393	3791.51	2529	4426.05	3225	5597.36	68.23	57.71
विविध	256	617.87	451	1035.32	272	1139.26	535	1793.81	108.98	190.32
कुल	**20757**	**173127.9**	**22853**	**200709.7**	**21505**	**179568.9**	**23042**	**205060.3**	**11.01**	**18.44**

सीआईएफ मूल्य के संदर्भ में एए के 2015-16 से 2018-19 तक के क्षेत्रीय विश्लेषण में रत्न और आभूषण और हस्तशिल्प के संबंध में गिरावट की प्रवृत्ति और इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र, रसायन, चमड़ा आदि में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। 2018-19 तक, एए के सीआईएफ मूल्य के संदर्भ में रसायन, इंजीनियरिंग और प्लास्टिक क्षेत्रों का हिस्सा लगभग 82 प्रतिशत था। कुल मिलाकर, सीआईएफ मूल्य के संदर्भ में लगभग 18.44 प्रतिशत और वित्त वर्ष 16 से वित्त वर्ष 19 तक जारी किए गए एए की संख्या के संदर्भ में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

प्रमुख क्षेत्रों के तहत एए में निर्धारित किए गए एफओबी के विवरणों की तुलना कुल भौतिक निर्यात से की गई, जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

तालिका 3: क्षेत्र में किए गए कुल भौतिक निर्यात की तुलना में एए में निर्धारित एफओबी

क्षेत्र	2015-16			2016-17			2017-18			2018-19			% प्रतिशत परिवर्तन	
	एए (क) में निर्धारित एफओबी	कुल भौतिक निर्यात का मूल्य (ख)	(क) से (ख) का % प्रतिशत	एए (क) में निर्धारित एफओबी	कुल भौतिक निर्यात का मूल्य (ख)	(क) से (ख) का % प्रतिशत	एफओबी एए में निर्धारित (क)	कुल भौतिक निर्यात का मूल्य (ख)	(क) से (ख) का % प्रतिशत	एफओबी एए में निर्धारित (क)	कुल भौतिक निर्यात का मूल्य (ख)	(क) से (ख) का % प्रतिशत	ईओ निर्धारित	कुल निर्यात
	(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)		(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)		(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)		(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)			
रासायनिक	159008	210542	**75.52**	139760	219810	**63.58**	154302	242114	**63.73**	206517	306131	**67.46**	29.88	45.40
इलेक्ट्रॉनिक्स	1312	37453	**3.50**	1566	38144	**4.11**	1275	39148	**3.26**	2516	58858	**4.27**	91.77	57.15
इंजीनियरिंग	67847	391359	**17.34**	78595	435769	**18.04**	78705	490244	**16.05**	92161	564688	**16.32**	35.84	44.29
खाद्य पदार्थ	8612	212459	**4.05**	17140	223207	**7.68**	12130	247708	**4.90**	10743	270618	**3.97**	24.74	27.37
रत्न और गहने	41334	257421	**16.06**	44672	290903	**15.36**	22206	267833	**8.29**	19173	281408	**6.81**	-53.61	9.32
प्लास्टिक	19077	42029	**45.39**	22725	43173	**52.64**	23449	48814	**48.04**	35365	66059	**53.54**	85.38	57.17
वस्त्र	4900	243030	**2.02**	5681	249575	**2.28**	6976	240949	**2.90**	8990	267108	**3.37**	83.47	9.91
विविध	1449	322091	**0.45**	2024	348853	**0.58**	1870	379704	**0.49**	3342	492856	**0.68**	130.64	53.02
कुल	**303539**	**1716384**	**17.68**	**312163**	**1849434**	**16.88**	**300913**	**1956514**	**15.38**	**378807**	**2307726**	**16.41**	**24.80**	**34.45**

यह देखा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स (92 प्रतिशत), प्लास्टिक (85 प्रतिशत) और वस्त्र (83 प्रतिशत) में एए (निर्धारित ईओ के संदर्भ में) की वृद्धि में बढ़ोतरी हुई, जबकि रत्न और आभूषण (54 प्रतिशत) के मामले में इसमें तेजी से गिरावट आई, जो ₹41,334 करोड़ (वित्त वर्ष 16) से ₹19,173 करोड़ (वित्त वर्ष 19) हो गई। कुल मिलाकर, वित्त वर्ष 16 से वित्त वर्ष 19 तक एए में निर्धारित एफओबी मूल्य के मामले में लगभग 24.80 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

क्षेत्र के तहत प्रभावित कुल भौतिक निर्यात की तुलना में एए के लिए निर्धारित एफओबी मूल्यों से निम्नलिखित का पता चला:

चित्र 6: क्षेत्र में किए गए कुल भौतिक निर्यात के प्रतिशत के रूप में एए के लिए निर्धारित एफओबी मूल्य

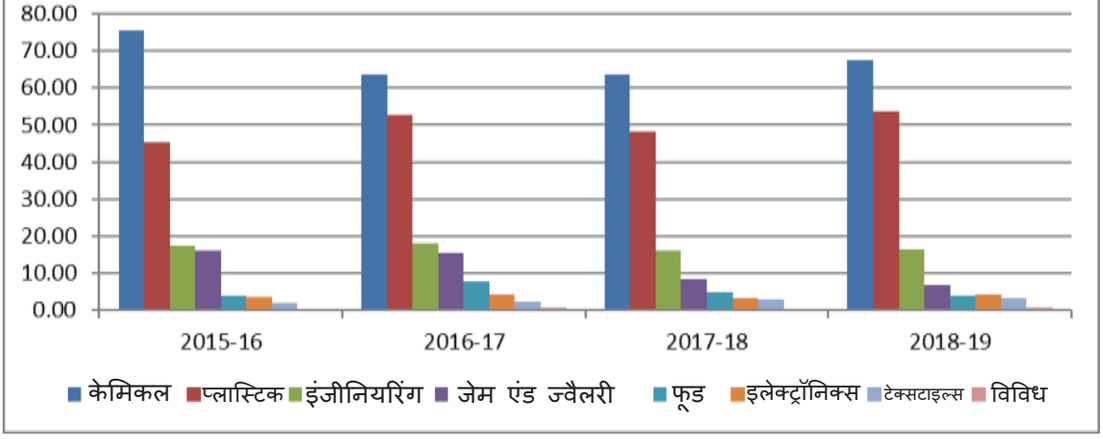

वर्ष के दौरान प्रभावित कुल भौतिक निर्यातों की तुलना में एए में निर्धारित एफओबी मूल्य के विश्लेषण से पता चला है कि दो क्षेत्रों, रसायन और प्लास्टिक, में एए के लिए इंजीनियरिंग एफओबी मूल्य के बाद 2018-19 के रूप में कुल भौतिक निर्यात का 50 प्रतिशत से अधिक था। इन तीन क्षेत्रों में, एए योजना कुल क्षेत्रीय निर्यात का एक महत्वपूर्ण संचालक थी।

इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण वृद्धि के संभावित कारणों[2] को समर्पित निर्यात संवर्धन परिषदों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जो निर्यात में तेजी लाने के लिए अपने सदस्यों को (वाणिज्य की दृष्टि से उपयोगी जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए वैश्विक व्यापार शो/प्रदर्शनी और सम्मेलनों की

[2] एमओसीआई वार्षिक रिपोर्ट 2019-20

सुविधा, वाणिज्यिक रूप से उपयोगी जानकारी और सहायता प्रदान करते हैं) सेवाओं की एक सरणी प्रदान करते हैं। इसके अलावा, इन उद्योगों में आने वाले अधिकांश उत्पादों के लिए एसआईओएन मानदंड पहले से ही निर्धारित हैं और एएच के पास निर्यात को प्रभावित करने के बाद भी शुल्क मुक्त आयात करने का विकल्प है।

वैश्विक आर्थिक मंदी[3] के कारण रत्न और आभूषण क्षेत्र को काफी नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा, विशेष रूप से इस क्षेत्र के लिए अन्य एफटीपी योजनाओं की उपस्थिति, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) का उदग्रहण, स्वर्ण पदकों और सिक्कों के निर्यात के लिए बहुमूल्य धातुओं के आयात के लिए एए योजना को बंद करना आदि, एए योजना में रत्न और आभूषण क्षेत्र की हिस्सेदारी में कमी के अन्य संभावित कारण थे।

मंत्रालय ने अक्टूबर 2017 से इस क्षेत्र के विकास को पुनर्जीवित करने के साथ-साथ बड़े पैमाने पर व्यापार को पुनर्जीवित करने के लिए जीएसटी छूट पुन: स्थापित करके, आईजीएसटी छूट प्राप्त करने के लिए पूर्व आयात शर्तों को हटाने, अनुमानित आपूर्ति के लिए एकीकृत कर और मुआवजा उपकर की छूट का विस्तार करने और नामित एजेंसी से निर्यातकों द्वारा मंगाए गए सोने पर 3 प्रतिशत आईजीएसटी को जनवरी 2019 से अवरुद्ध पूंजी को मुक्त करके रत्न और आभूषण क्षेत्र की मदद करने के लिए विभिन्न पहल की है।

कुल मिलाकर, नए एफटीपी 2015-20 में, योजना के क्रियान्यवयन में डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से कई सुविधा उपायों को सक्षम बनाया है जिसमें आवेदन के दौरान चार्टर्ड अकाउंटेंट/इंजीनियरों से सभी जानकारी और प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा करना शामिल है। लाइसेंस के मोचन के लिए अब एसबी[4] की निर्यात प्रोत्साहन (ईपी) कॉपी के बजाय शिपिंग बिल की कोई भी कॉपी प्रस्तुत की जा सकती है और ई-बीआरसी अटैच करने की भी आवश्यकता नहीं है। डीजीएफटी ने पहले आवेदक को या समान उत्पादों के लिए अन्य आवेदकों[5] को जारी प्राधिकारों के आधार पर आरए स्तर पर तदर्थ मानदंडों पर जारी प्राधिकारों

[3] एमओसीआई वार्षिक रिपोर्ट 2019-20

[4] डीजीएफटी का पीएन 9/2015-20 दिनांक 9.7.2018

[5] डीजीएफटी के पीएन नं.64/2015-20 दिनांक 27.12.2018

का संपुष्टि करने में भी सक्षम बनाया। मोचन आवेदन की स्थिति सार्वजनिक पोर्टल 'eodc.online'[6] से जानी जा सकता है।

डीजीएफटी ने मई 2019 में एए जारी करने के लिए ऑनलाइन आवेदन के साथ निर्धारित दस्तावेजों की अनिवार्य ऑनलाइन फाइलिंग लागू की और बाद में 1 दिसंबर 2020 से प्रभावी एक नई आईटी प्रणाली लागू की है जिसमें सभी निर्धारित दस्तावेजों (मोचन सहित) को ऑनलाइन अपलोड किया जाना आवश्यक है, जहां कमियों और उनकी प्रतिक्रियाओं को ऑनलाइन निपटाया जाएगा और ईओडीसी को अंतिम रूप देने और एए योजना को कागज रहित बनाने की बेहतर निगरानी के लिए डेटा को सीमा शुल्क विभाग को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। लेखापरीक्षा के दौरान शामिल की गई अवधि 2015-16 से 2018-19 तक थी; इसलिए, मई 2019 और दिसंबर 2020 से प्रभावी इन विशेषताओं के कार्यान्वयन की समीक्षा आगामी लेखापरीक्षा में की जाएगी।

1.5 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्यों का आकलन करना था:

i) क्या डीजीएफटी कार्यालयों द्वारा प्राधिकारों को जारी करने, उपयोग और मोचन को कुशल और प्रभावी तरीके से किया जा रहा है;

ii) क्या सीमा शुल्क विभाग द्वारा एए का कार्यान्वयन कुशल और प्रभावी तरीके से किया जा रहा है;

iii) क्या योजना के प्रशासन में शामिल अंतर-विभागीय समन्वय तंत्र प्रभावी है;

iv) क्या आंतरिक नियंत्रण उपाय राजस्व हानि, दुरुपयोग आदि के जोखिमों को कम करने के लिए पर्याप्त हैं।

1.6 लेखापरीक्षा क्षेत्र

निष्पादन लेखापरीक्षा में चार वर्ष की अवधि 2015-16 से 2018-19 तक के रिकॉर्ड और लेनदेन शामिल थे। लेखापरीक्षा में डीजीएफटी, इसके आरए और सीमा शुल्क विभाग की क्षेत्रीय संरचनाओं को शामिल किया गया था जहां एए पंजीकृत थे।

[6] डीजीएफटी का व्यापार नोटिस 1/2018-19 दिनांक 4.4.2018

1.7 लेखापरीक्षा कवरेज

पूरे भारत में कुल 38 आरए हैं जिनमें निष्पादन लेखापरीक्षा के तहत शामिल की गई अवधि 2015-16 से 2018-19 के दौरान ₹7,58,141 करोड़ के आयात के लिए सीआईएफ मूल्य वाले 88,157 एए जारी किए गए थे। लेखापरीक्षा ने 23 प्रमुख आरए (60.52 प्रतिशत) से ₹2,08,126 करोड़ (29.56 प्रतिशत) के सीआईएफ मूल्य वाली 4,048 एए फाइलों (4.96 प्रतिशत) के नमूने का चयन किया, जो कुल 38 आरए के 92.64 प्रतिशत संख्यावार (81,674 लाइसेंस) और 92.86 प्रतिशत मूल्यवार (₹7,04,008 करोड़ के सीआईएफ मूल्य) के बराबर है **(परिशिष्ट 1)**। लेखापरीक्षा ने क्षेत्राधिकारिक सीमा शुल्क क्षेत्रीय कार्यालयों का भी चयन किया जहां शुल्क मुक्त आयातों और निर्यातों को प्रभावित करने के लिए चयनित नमूना मामले पंजीकृत थे।

4,048 चयनित मामलों में से, सात आरए (मुख्य रूप से मुंबई, अहमदाबाद और दिल्ली) से संबंधित ₹9,906.73 करोड़ के सीआईएफ मूल्य वाली 405 एए फाइलें थी जिन्हें आरए को बार-बार अनुरोध करने/अनुस्मारक भेजने के बावजूद लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था **(परिशिष्ट 1)**।

1.8 लेखापरीक्षा मापदंड

लेखापरीक्षा ने निष्कर्षों को बेंचमार्क करने के लिए लागू अधिनियमों, मैन्युअल, नियमावली, सरकारी अधिसूचनाओं को मापदंड के रूप में प्रासंगिक प्रावधानों का उपयोग किया। महत्वपूर्ण प्रावधान नीचे सूचीबद्ध हैं:

- एफटीपी 2015-20;
- एचबीपी और इसके परिशिष्ट;
- डीजीएफटी द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस (पीएन)/परिपत्र आदि;
- विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) (एफटीडीआर) अधिनियम, 1992;
- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962;
- सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975;
- अग्रिम प्राधिकार योजना पर सीमा शुल्क अधिसूचनाएं और परिपत्र;
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा),1999;

- विदेशी मुद्रा का संरक्षण, तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974।

1.9 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

निष्पादन लेखापरीक्षा भारत के सीएजी के निष्पादन लेखापरीक्षा दिशानिर्देशों का उपयोग करके और सीएजी के डीपीसी अधिनियम, 1971 के अनुरूप की गई थी।

लेखापरीक्षा नवंबर 2019 से मार्च 2020 की अवधि के दौरान की गई। डीजीएफटी ने अक्टूबर 2018 तक के आंकड़ों के डंप डेटा को 18 दिसंबर 2018 को और नवंबर 2018 से मार्च 2019 तक की अवधि के आंकड़ों के डंप डेटा को 3 जनवरी 2020 को, दो किश्तों में प्रदान किया। लेखापरीक्षा जांच में डीजीएफटी डेटा का विश्लेषण और जारी किए गए प्राधिकारों की नमूना जांच तथा डीजीएफटी के चयनित आरए कार्यालयों में एएच द्वारा ईओ की पूर्ति और चयनित सीमा शुल्क पत्तनों में प्राधिकारों के उपयोग की नमूना जांच शामिल थी। योजना के क्रियान्यवयन में डीजीएफटी और सीमा शुल्क विभाग के बीच समन्वय का भी विश्लेषण किया गया था।

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए इंट्री/एक्जिट सम्मेलन क्रमशः 18 दिसंबर 2019 और 19 जनवरी 2021 को डीओसी/डीओआर के सदस्यों के साथ आयोजित किया गया था। पहला मसौदा 6 अक्टूबर 2020 को एमओसीआई/डीओआर को भेजा गया था, जिसका उत्तर 9 दिसंबर 2020 (डीजीएफटी) और 16 दिसंबर 2020 (डीओआर) को प्राप्त हुआ था। दूसरा मसौदा 9 जनवरी 2021 को जारी किया गया था, जिसका उत्तर 1 फरवरी 2021 (डीजीएफटी) और 12 फरवरी 2021 (डीओआर) को प्राप्त हुआ था।

1.10 अभिस्वीकृति

लेखापरीक्षा, वित्त मंत्रालय (एमओएफ), राजस्व विभाग (डीओआर), वाणिज्य विभाग (डीओसी) और इसकी क्षेत्रीय संरचनाओं से लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर प्राप्त हुए सहयोग के प्रति आभार व्यक्त करता है।